द्वारा) ... आबूरोड (सिरोही)

19/4/23 पत्रावली पेश। उपस्थित। वकील अप्रार्थी
वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] लिखित परिवाद
के प्रकरण हेतु पत्रावली [illegible] श्री रमेश [illegible]
[illegible] नहीं आया। [illegible] उपस्थित होकर
ने वकील प्रार्थी की ओर से [illegible] कार्य
निवेदन किया कि वकील [illegible] व्यस्त
है अतः पत्रावली [illegible]
हेतु दिनांक 20/5/23 को पेश हो।
(अंतिम अवसर [illegible] हेतु दिया जाता है)

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

20/5/23 पत्रावली पेश। वकील [illegible] पेश उपस्थित।
वकील अप्रार्थी [illegible] जवाब पेश किया
जिसे शा. फा. किया व वकील प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichhher
Date: 2023.06.12 17:20:27 IST
Reason: SelfAttested

को copy दि जावी। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया व कहा कि प्रार्थीगण ने जब अपनी जमीन अप्रार्थी को विक्रय की तब एक अनुबंध सम्पादित किया गया था जिसके para No. 7 मे यह लिखा गया था कि क्रेता प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि मे आने जाने के लिए उज्र एवं एतराज नही करेगा। तथा वकील प्रार्थीगण ने यह भी बताया कि प्रार्थीगण ने जब अपनी जमीन अप्रार्थी को विक्रय की तो उसमे से २ बिस्वा जमीन प्रार्थीगण ने अपने पूर्वजो की समाधि हेतु रखी थी जिस पर आने जाने हेतु उन्हे वर्तमान प्रार्थना पत्र के माध्यम से 10 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब और बहस के माध्यम से यह निवेदन किया कि अप्रार्थी ने उपरोक्त जमीन (खसरा नं. 361, 364 363, 364 ग्राम तारतोली पटवार हल्का मोरथला) आबूरोड प्रार्थीगण से क्रय की तथा खसरा नं. 361 की २ बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व उसके परिवार के पूजा हेतु प्रार्थीगण के पास ही रही क्योंकि वहा पर उनके पूर्वजो की समाधि थी।

वकील अप्रार्थी ने यह भी कहा कि [illegible] जिसका वर्णन वकील प्रार्थीगण ने [illegible] मे कही यह नही लिखा की प्रार्थीगण को अप्रार्थी रास्ता देगा परन्तु सिर्फ आने जाने से नही रोकने हेतु था।

वकील अप्रार्थी ने यह कहा कि R.T.A. की धारा 251-A के तहत खसरा No. 361/L

Signature Not Verified
Digitally signed by Govi[...]
Bhachher
Date: 2023.06.12 17:20
Reason: SelfAttested

तक जाने के लिए रास्ता दिलाने का यह वर्तमान प्रार्थना पत्र पेश किया है परन्तु प्रार्थीगण ने 2016 (बेचान) से आज दिनांक तक कभी उक्त खसरे पर कोई खेती नहीं की है न ही कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले रहे हैं अतः धारा 251-A के तहत रास्ता लेने हेतु प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है।

वकील अप्रार्थी ने कहा कि अप्रार्थी कभी प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर आने जाने हेतु नहीं रोकते हुए व प्रार्थीगण अप्रार्थी के खेत से होते हुए घर के पीछे होकर पगडंडी का रास्ता उपयोग कर पूजा इत्यादि करने आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के खेत में आने के मुख्य द्वार पर जबरदस्ती आम रास्ते पर चबूतरा बनवाकर बंद कर दिया और जब अप्रार्थी ने इसे हटाने को कहा तब यह प्रार्थनापत्र पेश कर हैरान परेशान किया जा रहा है।

प्रकरण में Tehsildar, Abu Road से जरिये पत्र दिनांक 14/04/2023 प्रार्थनापत्र का जवाब प्राप्त। पैरोकार सरकार भी उपस्थित हो निवेदन किया कि धारा 251-A के तहत मार्ग/रास्ता सिर्फ कृषि हेतु ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

मैंने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया, वकील उभयपक्ष व पैरोकार सरकार की बहस सुनी, अप्रार्थी व Tdr, Abu Road के जवाब का भी अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gov
Bhichher
Date: 2023.06.12 17:20
Reason: SelfAttested

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व उनके परिवार ने अपनी कृषि भूमि खसरा सं. 361, 362, 363, 364 ग्राम तरतोली पटवार हल्का मोरथला आबूरोड अप्रार्थी को विक्रय कर दी तथा खसरा सं. 361 की 02 बिस्वा भूमि समाधि हेतु प्रार्थीगण ने अपने पास रखी जिस पर पूर्व के 8-9 समाधि बनी हुई है तथा उपरोक्त समाधि स्थल हेतु शेष बची भूमि के विक्रय उपरांत नये खसरा नं. 361/1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये।

वर्तमान प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रार्थीगण ने अपने उपरोक्त खसरा नं. 361/1 समाधि स्थल हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-A के तहत पहुँच हेतु नया 10 फीट चौड़ा रास्ता बनाने हेतु निवेदन किया जो कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को विक्रय की गई भूमि में से चाहा गया है।

इस संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-A में यह प्रावधान है कि

" कोई अभिधारी अपनी जोत या अ[illegible] का कोई समूह उनकी जोतों त[illegible] अन्य खातेदार की जोत में से [illegible] बनाना चाहता है और मामला पारस्परिक समझौते या सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा व उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Veri
Digitally signed by Gov
Bhichher
Date: 2023.06.12 17:20
Reason: SelfAttested

यदि संक्षिप्त जाँच के पश्चात उनका समाधान हो जाता है कि :-

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है और

(2) अन्य खातेदार की जोत से हो कर विधित रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है - तो आदेश द्वारा .... अनुज्ञात कर सकेगा

मैंने प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों, अप्रार्थी के जवाब, Tdr, Abu Road के जवाब, वकील उभयपक्ष व सरकारी पैरोकार की बहस के आधार पर संक्षिप्त जाँच की जिसमें यह प्रकट हुआ की प्रार्थीगण का अप्रार्थी की जोत से नये मार्ग बनाने का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है क्योंकि (1) प्रार्थीगण ने ही उपरोक्त जमीन जिसमें से रास्ता चाहा है स्वयं विक्रय की है प्रार्थीगण चाहते तो रास्ते की जमीन छोड़ कर बेचान कर सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया (2) प्रार्थीगण खसरा सं. 361/2 में कोई कृषि कार्य नहीं करते है वहा पर उनके परिवार की समाधि है अत: यह रास्ता कृषि करने या कृषि कार्य हेतु नहीं चाहिए बल्कि समाधि स्थल तक जाने हेतु चाहिए [illegible] की धारा 251-A का उद्देश्य खातेदार को कृषि कार्य करने में व अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों के समाधान के लिए था

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind S
Bhichner
Date: 2023.06.12 17:20:27
Reason: SelfAttested

न कि अन्य कोई प्रयोजनार्थ हेतु।

अतः उपरोक्त जाँच के आधार पर मेरा यह समाधान नहीं होता है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और चाहा गया रास्ता मेरे मत में सिर्फ सुविधाजनक उपयोग/उपभोग के लिए ही है तथा प्रार्थीगण पहुँचने हेतु वैकल्पिक साधन का अभाव भी सिद्ध नहीं कर सके क्योंकि अप्रार्थी ने अपने खेत से होते हुए घर के पीछे से होकर पगडंडी व Tdr, Abu Road ने भी एक पगडंडी का उल्लेख किया है अतः वैकल्पिक साधन का अभाव भी सिद्ध नहीं कर सके।

अतः धारा 251-A की दोहरी शर्तों 251-A (b) (i & iii) को संतुष्ट नहीं कर सकने से उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Singh Bhichher
Date: 2023.06.12 17:20:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)